08-07-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव। फरियादी मोहरसिंह स्वयं उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। फरियादी पहचान श्री एस०एस० तोमर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादिवि० की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमित से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / — सही / — सही / — सदस्य पीठासीन अधिकारी